तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/10/22	वकील प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी गांव के मेन अभिलेख में, मोहोल्ला कैम, राजसिंहनगर रिकॉर्ड अनुसार में प्रार्थी के इस्तगीसाबत आवेदन अन्तर्गत 12(2)(A) को स्वीकार कर उ.नि./नि. द्वारा आइदान S/o चिमनाराम, राजाराम S/o चिमनाराम के स्थान पर आइदान S/o चिमनलाल, राजाराम S/o चिमनलाल की इस्तगी का राजस्व रिकार्ड में क्रमशः S/o करने के आदेश पारित किए गये थे। उक्त आदेश के अनुक्रम में तहसीलदार राजसिंहनगर को प्रेषित आदेश तहसील में अंकित तालिका के कॉलम नं. 5 में संख्या से लिखी गई पुरिवस मानचीन मूल से आइदान पुत्र चिमनलाल, आइदान पुत्र चिमनलाल बापू दर्ज हो गया जबकि सही तकन आइदान पुत्र चिमनलाल, राजाराम S/o चिमनलाल होना चाहिए था। मूल इन्द्राज पत्रावली 110 में कालिक्रमित आदेश में जगी त्रुटि हुई है, ऐसे स्थिति में पत्र संशोधन करते समय हुई गड़बड़ी मानचीन मूल की दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/शीर्ष/5.गांव.मु./कम/ला रिकॉर्ड 2/6/22 की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः उक्त पत्र में लाल स्याही से गलत अंकन को काटकर [illegible] तरफ लाल स्याही से सही [illegible]

आदेश सुनाया जाकर [illegible] में मुकाम [illegible] हाजिर

उपखण्ड अधिकारी
राजसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:18:16 IST
Reason: SelfAttested